राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:– एफ4(ई)(सेवानिवृत्त) / अलेसे–III / 765 दिनांक:– 13/08/21

आदेश संख्या 441 / 2021–22

विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश सं. 375 / 2018–19, क्रमांक एफ.4(ई) (सेवानिवृत्त) अलेसे–III / 3143 दिनांक 15.03.2019 में क्रम संख्या 3 पर अंकित श्री रमजान खां, कनि. लेखाकार के विरूद्ध कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग द्वारा जारी ज्ञापन कमांक प.1(142)कार्मिक / क–3 / 2010 दिनांक 16.08.2010 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के कारण पूर्व में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 12 (6) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 24.03.2015 के अनुसरण में प्रमाण–पत्र जारी नहीं किये गए थे।

श्री रमजान खां, कनि. लेखाकार का दिनांक 01.11.2019 को आकस्मिक निधन हो जाने के फलस्वरूप शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (क–3 / जांच) विभाग के आदेश कमांक: प.1(142) कार्मिक / क–3 / 2010 दिनांक 15.09.2020 द्वारा श्री रमजान खां के विरूद्ध लंबित उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त किया जा चुका है।

अतः वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्री रमजान खां के विरूद्ध आज दिनांक तक:–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियॉ विचाराधीन / लम्बित नहीं हैं।

विभाग द्वारा जारी पूर्व सेवानिवृत्ति आदेश संख्या 375 / 2018–19 दिनांक 15.03.2019 का शेष भाग पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:– एफ4(ई)(सेवानिवृत्त) / अलेसे–III / 765 दिनांक:– 13/08/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय............................
4. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष..
5. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्रीमती साईमन बेगम पत्नि स्व. श्री रमजान खां, सी–232, सूर्यानगर, अलवर।
8. अतिरिक्त निदेशक, (कार्मिक–I,II,III) कार्यालय हाजा।
9. डीपीसी / जांच शाखा / कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन शाखा / निजी पत्रावली
10. रक्षित / निजि पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)